

## परिशिष्ट ड.

[ देखिये नियम (9 तथा 10) ]

## विभागीय परीक्षा

प्रथम पेपर :	(क) अधिकतम अंक - 100
I. निर्वाचन विधियाँ	(ख) व्यक्तिगत पास अंक - 40 प्रतिशत
(i) भारत के संविधान में निर्वाचन से सम्बन्धित उपबन्ध ;	(ग) समस्त 45 प्रतिशत
(ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950.	
(iii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951	40 अंक
(iv) राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952	10 अंक
(v) राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1974	
(vi) राजनैतिक पार्टियों का पंजीकरण और चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968	10 अंक
(vii) निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960	20 अंक
(viii) चुनाव संचालन नियम, 1961	20 अंक
द्वितीय पर्चा: (पुस्तकों की सहायता से)	कुल अंक 100
I. प्रशासनिक/लेखा नियम :	
(i) हरियाणा सिविल सेवा नियम, जिल्द-I	
(ii) हरियाणा सिविल सेवा नियम, जिल्द-II	50 अंक
(iii) हरियाणा सिविल सेवा नियम, जिल्द-III	
(iv) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील नियम) 1987	20 अंक
(v) सरकारी कर्मचारी आचरण नियम 1966	
(vi) पंजाब वित्तिय नियम जिल्द I भाग I तथा भाग II	30 अंक

## परिशिष्ट च

(देखिये नियम (9 तथा 10).

## विभागीय परीक्षा

	(क) अधिकतम अंक - 100
	(ख) व्यक्तिगत पास अंक 40 प्रतिशत
	(ग) समस्त 45 प्रतिशत
I. निर्वाचन विधि	
(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950	40 अंक
(ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951	
(iii) राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952	
(iv) राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम नियम, 1974	10 अंक
(v) राजनैतिक पार्टियों का पंजीकरण और चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश 1968	10 अंक
(vi) निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960	20 अंक
(vii) चुनाव संचालन नियम, 1961	20 अंक

भास्कर चटर्जी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
निर्वाचन विभाग ।